तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
8/7/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है ... कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः ... साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 29/7/25 को पेश हो।
29/7/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है ... कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः ... साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 22/8/25 को पेश हो।
22/8/25	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त। अतिवृष्टि होने से आज अभिभाषक बार द्वारा कार्य स्थगित रखे जाने के कारण पत्रावली वास्ते साबिक कार्यवाही दि. 5/9/25 को पेश हो।
5/9/25	पत्रावली पेश हुई। आज अतिवृष्टि होने के कारण अभिभाषक परिषद द्वारा कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली वास्ते साबिक कार्यवाही दि. 23/9/25 को पेश हो।
23/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त। पेशकार सरकार ने सीधे बहस का निवेदन करने पर बहस प्रा.पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 25/9/25 को पेश हो।
25/9/25	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। प्रा.पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर रमेश के स्थान पर रमेश उर्फ महेश करने की स्वीकृति दी जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा.मि. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

मिसल नं0 351/प्रा0पत्र/2025	तारीख दायरा 25.04.2025	तारीख फैसला 25.09.2025

महेश गुर्जर उर्फ रमेश उम्र 31 वर्ष पुत्र राधाकिशन निवासी ग्राम खुराड़ तहसील तालेडा जिला बुन्दी, राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

राज० राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।

अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री रामरतन सुमन
अधिवक्ता अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

:: निर्णय ::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि वाके ग्राम खुराड़ पटवार मण्डल अकतासा भूअ.नि. तालेड़ा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान मे स्थित है उक्त भूमि खाता संख्या नई 5 के खसरा संख्या 479/132 रकबा 1.0684 हैक्टेयर हिस्सा 1/10 वाके ग्राम खुराड़ तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, भूमि खाता संख्या नई 4 के खसरा संख्या 343 रकबा 0.2833 हैक्टेयर, खसरा संख्या 447/128 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0. 3238 हैक्टेयर हिस्सा 1/15 वाके ग्राम खुराड़ तहसील तालेड़ा जिला बून्दी व भूमि खाता संख्या नई 59 पुराना 61 के खसरा संख्या 344 रकबा 1.2545 हैक्टेयर, खसरा संख्या 345 रकबा 1.2626 हैक्टेयर, खसरा संख्या 346 रकबा 1.0279 हैक्टेयर, खसरा संख्या 76 रकबा 0.2266 हैक्टेयर किता 4 कुल रकबा 3.7716 हैक्टेयर हिस्सा 2/45 वाके ग्राम खुराड़ तहसील तालेड़ा जिला बून्दी मे स्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम रमेश पुत्र राधाकिशन जाति गुर्जर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जबकि प्रार्थी के समस्त लोक दस्तावेज मे प्रार्थी का नाम महेश गुर्जर पुत्र राधा किशन लिखा हुआ है। प्रार्थी का नाम रमेश के स्थान पर महेश गुर्जर नाम सही है। प्रार्थी ने तहसीलदार तालेडा से प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम रमेश के स्थान पर महेश गुर्जर दर्ज करने का निवेदन किया। परन्तु तहसीलदार तालेडा के द्वारा आज दिन तक उक्त संशोधन करने बाबत कोई कार्यवाही अमल मे नही लाई गई जिस कारण प्रार्थी को अपनी संयुक्त खातेदारी अधिकार की उपरोक्त भूमि पर लोन प्राप्त करने, कृषि भूमि का विकास करने हस्तांतरण करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय से नाम रमेश के स्थान पर पुनः महेश गुर्जर दर्ज करने का आदेश तहसीलदार तालेड़ा के विरूद्ध इन्द्राज दुरूस्त करने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का वाद कारण आज दिनांक से लगभग 25 दिन पूर्व तहसीलदार तालेड़ा ने प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मे रमेश के स्थान पर महेश गुर्जर दर्ज करने से इनकार कर दिया। तब उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जावे कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम रमेश के स्थान पर महेश गुर्जर दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्त किया जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार तालेडा द्वारा जर्ये पत्रांक 2850 दिनांक 11.07.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थी महेश गुर्जर उर्फ रमेश पुत्र राधाकिशन जाति गुर्जर नि0 खुराड के मुताबिक ऑनलाइन जमाबन्दी खाता सं0 4,5,59 में प्रार्थी का नाम नाबालिग रमेश पुत्र राधाकिशन दर्ज रेकार्डर्ह है जबकि ग्रामवासियान् से जानकारी अनुसार एवं प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेज, आधारकार्ड, पहचानपत्र में भी प्रार्थी का नाम महेश पुत्र राधाकिशन है, ग्रामवासियान के द्वारा बताया गया कि वास्तविक नाम तो महेश है परन्तु बोलचाल की भाषा में ग्राम में रमेश के नाम से भी पुकारते है अतः मुतागिक ग्रामवासियान् के वास्तविक नाम महेश पुत्र राधाकिशन है।

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी खाता सं0 4,5,59 वाके ग्राम खुराड संवत /6, आधारकार्ड प्रार्थी, मतदाता पहचान पत्र, 10वी की अंकतालिका एवं सरपंच ग्राम पंचायत का पत्र पेश किया। बहस उभयपक्ष सूनी गई। वकिल प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कृषि भूमि खाता सं0 4,5,59 वाके ग्राम खुराड पटवार हल्का अकतासा संवत 2076 तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान की वर्तमान जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम रमेश के स्थान पर महेश दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया गया। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट के आधार पर नाम दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच है कि प्रार्थी का नाम महेश है एवं उसे रमेश के नाम से भी जाना जाता था। नामान्तकरण दर्ज करते वक्त नाबालिग रमेश दर्ज किया गया । अतः उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खाता संख्या नई 5 के खसरा संख्या 479/132 रकबा 1.0684 हैक्टेयर हिस्सा 1/10 वाके ग्राम खुराड़ तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, भूमि खाता संख्या नई 4 के खसरा संख्या 343 रकबा 0.2833 हैक्टेयर, खसरा संख्या 447/128 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.3238 हैक्टेयर हिस्सा 1/15 वाके ग्राम खुराड़ तहसील तालेड़ा जिला बून्दी व भूमि खाता संख्या नई 59 पुराना 61 के खसरा संख्या 344 रकबा 1.2545 हैक्टेयर, खसरा संख्या 345 रकबा 1.2626 हैक्टेयर, खसरा संख्या 346 रकबा 1.0279 हैक्टेयर, खसरा संख्या 76 रकबा 0.2266 हैक्टेयर किता 4 कुल रकबा 3. 7716 हैक्टेयर हिस्सा 2/45 वाके ग्राम खुराड़ तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान मे प्रार्थी का नाम रमेश के स्थान पर रमेश उर्फ महेश दर्ज किये जाने के तहसीलदार तालेडा को निर्देश प्रदत्त किये जाते है। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 25.09.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned with OKEN Scanner